


22



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-नीमच

PBR/मिथारानी/नीमच/भू-स/2018/0237

नर्मदाबाई पत्नी श्री रतनलाल माली,
निवासी - ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील व
जिला - नीमच (म.प्र.) — आवेदिका
विरुद्ध

श्री. चम्पैय्याजी उडके
द्वारा आज दि. 8.11.18 को
प्रस्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 11.11.18 त्त।

वकील ऑफ द रीट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

- 1- बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जी धाकड,
निवासी प्रगति नगर, महू रोड, नीमच
तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)
- 2- रतनलाल पुत्र श्री भागीरथ माली, ग्राम
जयसिंहपुरा तहसील व जिला नीमच(म.प्र.)
— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार, तहसील नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/
अ-13/ 2016-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के
विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/0237

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-3-2018	<p>आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 9-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र स्वीकार कर रास्ता खोले जाने का आदेश दिया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>अध्यक्ष</p>